

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 (अग्रहायण 21, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के डकैतीप्रस्त क्षेत्र से एस.ए.एफ. की कम्पनी हटाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर नगर निगम आयुक्त के साथ कुछ पार्श्वों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री चैन सिंह सामले, सदस्य, बिलासपुर जिले के मालखरीदा विकासखण्ड में शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) सर्वश्री लल्लू सिंह, डॉ. सीतासरन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, शहडोल जिले के सोहागपुर उप नगर में रामलीला मंच से दुर्गा जी की प्रतिमा हटाये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री परसराम धुर्वे, सभापति, प्राक्कलन समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामलखन सिंह (त्यौथर), सदस्य, रीवा जिले के ग्राम भिगुड़ी से अमिलिया तक सड़क बनाये जाने ;

(2) श्री रजिन्द्रपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के -

(क) ग्राम शिकारी टोला के कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने ;

(ख) ग्राम झीथरा टोला के कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने ; तथा

(ग) मटिया मोती जलाशय वेस्ट विद्यर पर पुल निर्माण कराये जाने ,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण विधेयक, 1996 (क्रमांक 30 सन् 1996) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

निर्धारित
समय
1 घन्टा

(2) श्री अशोक राव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

